

स्वतंत्र भारत के नीतिगत दस्तावेजों में वैकल्पिक शिक्षा के आयाम

अतुल कुमार ,

शोधार्थी, शिक्षा विद्यापीठ , महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ,

वर्धा , महाराष्ट्र - 442001

Email id- atulkumargupta00@gmail.com

Abstract

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी देश या राष्ट्र की दिशा व दशा दोनों निश्चित करती है | प्रत्येक समाज की अपनी संस्कृति और पहचान होती है जिसके अनुसार उसकी शिक्षा का विकास होता है | भारतीय समाज की बुनावट कुछ इस प्रकार की है की उसका प्रभाव उसकी शिक्षा व्यवस्था पर भी दृष्टिगोचर होता है | स्वतन्त्रोत्तर भारत में शिक्षा में गुणात्मक वृद्धि के लिए अनेकों शिक्षा आयोगों / समितियों / नीतियों का गठन किया गया, उन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक महत्वपूर्ण सुझाव / सिफारिशों दीं किन्तु उन सैध्दांतिक सिफारिशों का व्यावहारिक क्रियान्वयन नहीं हो सका, जिसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा व्यवस्था विशेषतः विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था शिक्षार्थी केन्द्रित न होकर शिक्षक केन्द्रित ज्यादा रही है | जिसके कारण बच्चों का मन विद्यालय में नहीं लगता है | वे भारी मन से विद्यालय जाते हैं और विद्यालय से छूटते ही वे दौड़कर घर की ओर भागते हैं जैसे की वह किसी विद्यालय में नहीं बल्कि जेल में पढ़ रहे हों, जहाँ पर इन्हें माता – पिता एवं शिक्षकों द्वारा जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा हो | जिसका परिणाम यह रहा की इस दौर में अनेक वैकल्पिक शिक्षा या विद्यालयों का उन्नयन होता है | इस लेख में भारत के नीतिगत दस्तावेजों में वैकल्पिक शिक्षा के आयामों की खोज की गयी है |

Keywords: नीतिगत दस्तावेज ,वैकल्पिक शिक्षा ,एन.सी.एफ. 2005|



Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना –

वैकल्पिक शिक्षा कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है और ना ही कोई कार्यविधि है बल्कि यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो इस विश्वास पर टिका है कि शिक्षित होने के कई मार्ग हैं जिसमें व्यक्ति को उसके वातावरण और समुदाय से जोड़ कर सिखाया जा सकता है | इस प्रकार की शिक्षा में हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग प्रकार के वातावरण और संरचनाओं को प्रदान करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सहज महसूस करें और आगे बढ़ सके | वैकल्पिक शिक्षा में सभी के लिए एकसमान पर्यावरण और पाठ्यचर्या नहीं होती है और यह, यह भी मानता है कि माता-पिता-और बच्चे यह निर्णय लेने में सक्षम है की वे किस प्रकार और कैसे सीख सकते हैं ? यह विद्यालय अधिकतर छात्रों को बिना फेल करने की रणनीति को अपनाते हैं जिससे छात्र विभिन्न रूपों में बिना किसी भय के ज्ञान अर्जित कर सकते हैं | इस प्रकार की शिक्षा में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है यह

Copyright © 2018, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पूर्णरूपेण बालक केन्द्रित होती है, बालक जब चाहे जो विषय पढ़ सकता है, जब चाहे अपना टिफिन कर सकता है | लेकिन इन सब कार्यों में अध्यापक अनुशासन पर विशेष ध्यान देता है | इसमें अध्यापक इस प्रकार का वातावरण तैयार करता है की बालक स्वयं सीखने के लिये तत्पर होता है | यह संकल्पना उस समय और अधिक विकसित हुई जब अमेरिका में बहुत से नवयुवक छात्र अपनी दसवीं तक की विद्यालयी शिक्षा को पूरा किए बिना ही अपनी पढ़ाई छोड़ दे रहे थे और यह कार्यक्रम या दृष्टिकोण धीरे-धीरे वर्तमान समय तक विकसित हो रहा है | वैकल्पिक शिक्षा का यह दृष्टिकोण प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर तथा उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रणाली पर ही लागू होता है |

वैकल्पिक विद्यालय के कई मॉडल या प्रकार हो सकते हैं | सभी वैकल्पिक विद्यालयों की अपनी अलग पहचान और विशेषता होती है | लेकिन कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जो लगभग सभी वैकल्पिक विद्यालयों में पाये जाते हैं:-

- a) प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में दी जाये |
- b) प्रत्येक बालक पर अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण की वह सीख रहा है की नहीं |
- c) विभिन्न सामाजिक – आर्थिक स्थिति तथा विभिन्न क्षमताओं के बच्चों के एकीकरण के साथ शिक्षा |
- d) शिक्षा को विद्यालय के बाहर के वास्तविक जीवन से जोड़कर सीखाना जिससे उनमें सामाजिकता का विकास हो |
- e) विभिन्न विषयों को एकीकृत करके पढ़ाना जिससे बालक अच्छी तरह समझ सकें |
- f) ऐसे अध्यापकों का चयन जो स्वयं में सृजनशील हों तथा सृजनशीलता को प्रोत्साहित करते हों |
- g) अध्यापक – छात्र का कम अनुपात |
- h) परीक्षा से भयमुक्त प्रणाली |
- i) इस प्रकार के विद्यालयों में अध्यापक, छात्र, सपोर्ट स्टाफ, प्रशासनिक अधिकारी, बच्चों के माता – पिता सभी मिलकर नीतियों के निर्माण में सहभाग करते हैं |
- j) विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए करके सीखना, खेल विधि, मांटेसरी विधि से पढ़ाना |
- k) बालकों को रटने पर कम जोर देना |

हमारे देश भारतवर्ष में भी बालकों को किस प्रकार अच्छी शिक्षा दी जाये | इस सम्बन्ध में भी समय – समय पर अनेक आयोगों / समितियों / नीतियों का गठन किया गया तथा उसकी संस्तुतियों को लागू किया गया | इन आयोगों व संस्तुतियों को हम दो भागों में बाँट सकते है:-

1. स्वतंत्रता पूर्व की आयोग व संस्तुतियां
2. स्वतंत्रता के पश्चात के आयोग एवं संस्तुतियां

स्वतंत्रता के पश्चात के आयोग एवं संस्तुतियां

क्रम संख्या	आयोग का नाम	अध्यक्ष का नाम	आयोग के गठन का वर्ष	आयोग के रिपोर्ट देने का वर्ष
1.	विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (राधाकृष्णनआयोग)	डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन	4 नवम्बर 1948	25 अगस्त 1949
2.	माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर आयोग)	डॉ.लक्ष्मी स्वामी मुदालियर	23 सितम्बर 1952	29 अगस्त 1953
3.	राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग)	डॉ.डी.एस.कोठारी	14 जुलाई 1964	29 जून 1966
4.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968	संसद सदस्यों की समिति	5 अप्रैल 1967	24 जुलाई 1968
5.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986	संसद सदस्यों की समिति	मई 1986	नवम्बर 1986
6.	शिक्षा बिना बोझ के (Learning Without Burden)	प्रो.यशपाल	मार्च 1992	15 जुलाई 1993
7.	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 (N.C.F. 2005)	प्रो.यशपाल	14 एवं 19 जुलाई 2004	2005

(स्रोत –लाल बी.आर.भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं , 2012 -13 एवं इन्टरनेट)

हमारे देश भारत के स्वतंत्र होने के लगभग 1 वर्ष पश्चात 4 नवम्बर 1948 को डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' (राधाकृष्णन कमीशन) 1948- 49 को गठित किया गया | यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था | इस आयोग ने तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति उनकी समस्याओं और उन समस्याओं को दूर करने के संबंध में अपने सुझाव 1949 में दिए | इस आयोग का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए बनाया गया था | उच्च शिक्षा के सुधार हेतु उद्देश्य, पाठ्यक्रमों, उच्च शिक्षा में भाषा, अनुशासन, किस प्रकार शिक्षकों की नियुक्ति हो, वेतनमान, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के प्रति सकारात्मक रवैया को दर्शाया तथा उस पर सुधार के लिए बहुत ही सुंदर रिपोर्ट दी | किंतु उनके सुझाव प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षा के प्रति नहीं थी | अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वैकल्पिक शिक्षा की जो प्राथमिक विशेषताओं को बताया गया है | वो इस आयोग की संस्तुतियों में नहीं देखने को मिला |

इस आयोग की सिफारिशों के बाद 1952-53 में 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' (मुदालियर आयोग) जिसके अध्यक्ष तत्कालीन मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे | माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव में वैकल्पिक शिक्षा के निम्नलिखित दृष्टिकोण देखने को मिलता है :-

1. उन्होंने कहा कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य छात्रों की मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास से है |
2. आयोग ने पाठ्यचर्या निर्माण के लिए उपयुक्त सिद्धांत बताएं पहला वास्तविकता, व्यापकता, उपयोगिता और सहसंबंध पर विकसित करने का सुझाव दिया तथा माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में सह-पाठ्यचारी क्रियाओं को अनिवार्य करने का सुझाव भी दिया |
3. पाठ्यचर्या वास्तविक जीवन से संबंधित हो जिसे पूरा कर छात्र समाज में सम्मान पूर्वक रह सके |
4. उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही तथा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने की बात कही |
5. उन्होंने कई शिल्प जैसे सिलाई, बुनाई, काष्ठ - कला, धातु का काम, बागवानी, सिलाई, कढ़ाई, मुद्रण मॉडल बनाने का काम आदि में किसी एक शिल्प को पढ़ाने की बात कही है |

6. परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए केवल निबंधात्मक प्रश्न ना पूछे जाएं | यदि पूछे जाएं तो विचार आधारित प्रश्नों को पूछा जाए जिससे बालकों में सोचने की शक्ति का विकास हो तथा परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी सम्मिलित किया जाए |
7. अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाए यह सभी सुझाव वैकल्पिक शिक्षा के आयाम को कुछ हद तक पूरा करते है |

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 (कोठारी कमीशन)

भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन तथा देश भर के लिए समान शिक्षा नीति का निर्धारण करने के लिए **14 जुलाई 1964 को डी. डी. एस. कोठारी** की अध्यक्षता में 17 सदस्य 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' का गठन किया इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर इसे 'कोठारी आयोग' भी कहते हैं | आयोग ने अपने प्रतिवेदन का शुभारंभ ही इस वाक्य से किया है कि, “ हमारे देश के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है |”

आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, विश्वविश्वविद्यालय के शिक्षा संबंधी सुधार एवं विस्तार हेतु कार्य सौंपा गया जो अत्यंत व्यापक था | किंतु उनमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर जो सुझाव थे | उनमें वैकल्पिक शिक्षा के निम्नलिखित विशेषताएं समाहित हैं :-

1. सभी स्तरों की शिक्षा की पाठ्यचर्या में आपस में संबंध स्थापित किया जाए तथा विद्यालयी पाठ्यचर्या का निर्माण बेसिक शिक्षा के सिद्धांतों (उत्पादन एवं सहसम्बन्ध आदि) के आधार पर किया जाये | परन्तु किसी भी स्तर की शिक्षा को बेसिक शिक्षा ना कहा जाये |
2. जो प्राथमिक शिक्षा के बाद पढ़ने की स्थिति में नहीं है उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही किसी हस्त कार्य में निपुण किया जाए |
3. जिन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के बाद पूर्णकालिक उच्च प्राथमिक शिक्षा सुलभ न हो उसके लिए अल्पकालिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए |
4. शिक्षण विधियों में सुधार किया जाए तथा विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए |
5. इस आयोग ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा में देने की बात कही |

6. विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय जिनसे बच्चों में लोकतन्त्रीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न हों और वे तदनुकूल व्यवहार करें।
7. छात्रों में स्वतंत्र चिन्तन और निर्णय लेने की शक्ति का विकास किया जाय।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 मुख्य रूप से कोठारी आयोग की संस्तुतियों की जांच के लिए तथा एक नए ड्राफ्ट को बनाने के लिए किया गया। किंतु उसमें सामान्यतः कुछ नयी बातों को जोड़कर कोठारी आयोग के सुझाव का समर्थन किया गया परिणाम स्वरूप इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी वैकल्पिक शिक्षा की विशेषताएं उसी प्रकार दृष्टिपात होते हैं जो कोठारी आयोग में हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा से पहले तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण **शिक्षा की चुनौती: नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य** (Challenge of Education : A policy perspective) के नाम से करवाया। इस दस्तावेज में भारतीय शिक्षा की 1951 से 1983 तक की यात्रा की प्रगति यात्रा का सांख्यिकी विवरण, उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का विवरण तथा गुण - दोषों का भी विवरण प्रस्तुत किया तथा जनता के हाथों में पहुंचाया तथा इस पर देशव्यापी बहस शुरू की। सभी प्रांतों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए। केंद्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और उसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया संसद में पास कराने के बाद इसे मई 1986 में प्रकाशित किया। यह भारत की ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जिसमें नीति के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन पर पूरी योजना भी प्रस्तुत की गई थी साथ ही साथ उसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाए गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 12 भागों में विभाजित है। नवंबर 1986 में इसकी कार्ययोजना (Plan of Action) नामक दस्तावेज प्रकाशित किया गया। यह कार्य योजना 24 भागों में विभाजित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग-2 में शिक्षा का सार और उसकी भूमिका में यह कहा गया है कि “शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य के निर्माण का अनुपम साधन है”। इसी सिद्धांत को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की धुरी माना गया है।

इसमें वैकल्पिक शिक्षा के निम्नलिखित आयाम या विशेषताएं देखने को मिलते हैं :

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भाग पांच ‘विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन’** में शिशुओं की देखभाल और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जहां भी संभव हो ‘समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम’ के साथ जोड़ा जाएगा। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के संदर्भ में शिशुओं की देखभाल के केंद्र खोले जाएंगे। शिशुओं के देखभाल और प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों को पूरी तरह समेकित किया जाएगा ताकि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।
- **ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड:** किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम 2 बड़े कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैकबोर्ड, नक्शे, चार्ट और अन्य शिक्षण सामग्री शामिल हैं। हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक की व्यवस्था की जाएगी। यह पूरे देश की प्राथमिक शिक्षा को सुधारने के लिए किया जाएगा।
- अनौपचारिक शिक्षा के संदर्भ में इसमें कहा गया है कि ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ गए हैं या जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहां स्कूल नहीं हैं जो काम में लगे हैं और वे लड़कियां जो दिन के स्कूल में पूरे समय नहीं जा सकती। इन सब के लिए एक विशाल और व्यवस्थित अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को चलाने का अधिकतर कार्य स्वयं सेवी संस्थाएं और पंचायती राज संस्थाएं करेंगी इस कार्य के लिए इन संस्थाओं को पर्याप्त धन समय पर दिया जाएगा।
- इस समय शिक्षा की औपचारिक पद्धति और देश की समृद्धि सांस्कृतिक परंपराओं के बीच एक खाई है जिसे पाटना आवश्यक है संस्कृति विहीनता, अमानवीयता और अजनबीकरण (एलिनेशन) के भाव से हर कीमत पर बचना होगा। शिक्षा की पाठ्यचर्या और प्रक्रियाओं को सांस्कृतिक विषय वस्तु के समावेश द्वारा अधिक से अधिक रूपों में समृद्ध किया जाएगा। सांस्कृतिक परंपरा में निपुण व्यक्तियों को उनके पास औपचारिक शैक्षिक उपाधि ना होने पर भी शिक्षा में सांस्कृतिक तत्वों का योगदान करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा इस काम में लिखित और मौखिक दोनों परंपराएं शामिल होंगी।

- परीक्षा में इस प्रकार सुधार किया जाएगा कि मूल्यांकन की एक वैध और विश्वसनीय प्रक्रिया उभर सके और वह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के एक सशक्त साधन के रूप में काम आ सके, जिसमें निम्न बातें समाहित हैं :-
 - i. रटने पर से जोर को हटाना |
 - ii. ऐसी सतत और संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया का विकास करना जिसमें शिक्षा के शास्त्रीय और शाश्वतोत्तर पहलू समाविष्ट हो जाएं और जो शिक्षण की पूरी अवधि में व्याप्त रहे |
 - iii. अध्यापकों विद्यार्थियों और माता-पिता के द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग किया जाए |
- सरकार और समाज को ऐसी परिस्थितियां बनानी चाहिए | जिससे अध्यापकों को निर्माण और सृजन की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिले | अध्यापकों को इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वह नए प्रयोग कर सके और संप्रेषण की उपयुक्त विधियां और अपने समुदाय की समस्याओं और क्षमताओं के अनुरूप नए उपाय निकाल सके |

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद हम गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करने लगे और धीरे – धीरे हमारे छोटे बच्चों के बस्तों का भार इतना अधिक हो गया कि हमें 90 के दशक की शुरुआत में सन 1992 में इस समस्या के विश्लेषण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) को एक समिति की नियुक्ति करनी पड़ी | जिसका नाम था ‘शिक्षा बिना बोझ के’ (LEARNING WITHOUT BURDEN) | इस समिति का अध्यक्ष प्रो.यशपाल को बनाया गया | इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई 1993 को सरकार को सौंप दी | बाद में यह समिति अपने अध्यक्ष के नाम पर ‘यशपाल समिति’ के नाम से जाना जाता है | यह रिपोर्ट पांच भागों में बटी है जिसमें उन्होंने यह बताया है की हमारे बच्चों के बस्ते का भार क्यूँ इतना अधिक हो गया है ?, उसके कारणों में बताया की इसके लिए किस प्रकार बच्चों के माता – पिता, स्कूल, अध्यापक, विद्यालय तथा सरकार जिम्मेदार है | इस रिपोर्ट में वैकल्पिक शिक्षा के निम्न आयाम परिलक्षित होते हैं :-

- गुणवत्तापरक शिक्षा सिर्फ मोटी - मोटी किताबें और परीक्षा के भय से ही नहीं आती हैं बल्कि अच्छे शिक्षकों से आती हैं |

- प्राथमिक स्तर पर पढाई या निर्देश का माध्यम केवल मातृभाषा होनी चाहिए |
- व्यक्तिगत उपलब्धियों के आधार बच्चों को जो ईनाम दी जाती है ऐसी प्रतियोगिताओं को समाप्त कर देनी चाहिए | क्योंकि वो बच्चों को मनोरंजक शिक्षा से वंचित कर देते है |
- पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण की प्रक्रिया को और विकसित करना चाहिए | इसमें क्षेत्रीयता को जोड़कर उसके अनुरूप पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना चाहिए | जिससे पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक बच्चों को नीरस या बोझिल न लगे |
- पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में स्कूल के अध्यापकों और प्रशासन को सहयोग करना चाहिये |
- ज्यादातर विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण का अभाव होता है | उनमे पर्याप्त समय, कर्मचारी, भवन, और प्रयोगशालायें आदि की कमी होती है | जबकि शिक्षा में नए प्रयोग करने के लिए याह आवश्यक है जिससे बालक समझकर सीखते है उन्हें रटना नहीं पड़ता है |
- अच्छी शिक्षा बच्चों के स्वभाव को समझने से आती है |

किंतु इसके बावजूद इन प्रश्नों का हल नहीं निकला और पुनः सन 2000 में पाठ्यचर्या की रूपरेखा की समीक्षा की गई किंतु इसके बाद भी परीक्षा और पाठ्यचर्या के विवाद हल न हुए | इन्हीं सभी विवादों के बीच हमारे बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए ? इस संदर्भ में एन.सी.ई.आर.टी. ने 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा - 2005' प्रस्तुत की जिसमें यह परिभाषित किया गया है कि हमें बच्चों को क्या, कब और कैसे पढ़ाना है ? इस संदर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया |

एन. सी. एफ. 2005, एक सामान्य परिचय

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) की कार्यकारिणी ने 14 एवं 19 जुलाई 2004 की बैठकों में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को संशोधित करने का निर्णय लिया | इस कार्यकारिणी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे | इसमें एक राष्ट्रीय संचालन समिति तथा 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया | इस समितियों में उच्च शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षा परिषद के अकादमिक

सदस्य, स्कूलों के शिक्षकों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि सदस्यों के रूप में शामिल हुए। इसमें देश के शहरी और ग्रामीण सभी जगहों से प्रतिनिधियों के विचार को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया। शहरी शिक्षा संस्थानों जैसे मैसूर, अजमेर, भुनेश्वर, भोपाल और शिलांग जिला में स्थित परिषद के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में क्षेत्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। वहीं ग्रामीण शिक्षकों से सुझाव लेने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए गए जिससे लोग नई पाठ्यचर्या के बारे में अपनी राय दें सकें।

एन.सी.एफ.2005 में यह माना गया है कि हमारे शैक्षिक उद्देश्यों और शिक्षा की गुणवत्ता में भारी विकृति आ गई है इस विकृति को दुरुस्त करने के लिए पाठ्यचर्या के इस दस्तावेज में पाठ्यचर्या निर्माण के पांच निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा है :-

1. ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना।
2. पढ़ाई रटत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना।
3. पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वह बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाएं बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर न रह जाए।
4. परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना।
5. एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्यव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में निम्न बिंदुओं में महत्व दिया गया है जो की वैकल्पिक शिक्षा के विशेषताओं को भी पूरा करते है :-

- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है जिसमें यह स्वीकार किया गया है कि हम बच्चों को स्थानीय पर्यावरण और जीवन के बीच संगति बिठाकर सिखाएंगे तो वह ज्ञान और अधिक मजबूत होगा और बच्चे सहजता से सीखेंगे हालांकि इन अनुभवों को जोड़ते समय हमें स्वीकृत पाठ्यचर्या के सिद्धांतों ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थानीय से वैश्विक की ओर जोड़कर ज्ञान देने की बात करता है जो कि वैकल्पिक शिक्षा का मुख्य आयाम है।

- एन.सी.एफ. 2005 गुणवत्तापरक शिक्षा की बात करता है हमें यहां यह सूचित करता है कि भौतिक संसाधन अपने आप में गुणवत्ता के द्योतक नहीं माने जा सकते है बल्कि योग्य व उत्साही शिक्षकों की उपलब्धता जो अध्यापन को कैरियर के विकल्प के रूप में देखते हैं स्कूलों में सभी वर्गों में गुणवत्ता की एक आवश्यक शर्त है जो हमारे मन में यह धारणा बन गई है की गुणवत्ता की मुख्य आधार परीक्षा परिणाम है उसे हटाना होगा मिटाना होगा |
- एन.सी.एफ. ने हमें बालकेंद्रित शिक्षा को और व्यापक ढंग से समझाने का प्रयास किया है | जिसमें हमें यह बताया गया है कि हम बच्चों को उनके स्वमं के अनुभवों, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना, शिक्षा को उनके मनोवैज्ञानिक विकास व अभिरुचियों के मद्देनजर हमें शिक्षा को नियोजित करने की आवश्यकता है | हमें शिक्षा को उनके समाज से जोड़ कर देनी चाहिए | जो कि अनौपचारिक शिक्षा का एक माध्यम है |
- हम सभी जानते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में अध्यापक की भूमिका प्रमुख होती है | अतः अध्यापकों को ऐसा रचनात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए कि बच्चे या विद्यार्थी सक्रिय रूप से पूर्व प्रचलित विचारों में उपलब्ध सामग्री / गतिविधियों या अनुभवों के आधार पर अपने लिए ज्ञान की रचना करते हैं किंतु यह अनुभव एक दिन में नहीं आती है यह कई दिनों के अनुभव से प्राप्त होता है इसे एन.सी.एफ. में 'चतुर अनुमान' के नाम से पुकारा गया है |
- विद्यालय में बच्चे तभी सीखेंगे जब उन्हें महत्वपूर्ण माना जा रहा हो और भय से मुक्त वातावरण हो और आज भी हमारे स्कूल ऐसा करने में असक्षम है सभी प्रकार के शारीरिक दंड के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाने की जरूरत है | स्कूल की सीमाओं को समाज के प्रति अधिक उदार होना होगा साथ ही पाठ्यचर्या का बोझ और परीक्षा संबंधित तनाव के सभी आयामों पर तात्कालिक ध्यान देने की आवश्यकता है |

निष्कर्ष :- मैं भारत के नीतिगत दस्तावेजों में वैकल्पिक शिक्षा के आयाम की बात कर रहा हूँ | अगर देखें तो लगभग भारत के सभी नीतियों में कुछ न कुछ आयाम देखने को मिलें है | मैं जिन वैकल्पिक विद्यालयों की बात कर रहा हूँ उन विद्यालयों ने कोई अलग कार्य नहीं किया है | केवल उन्होंने जो संस्तुतियां पूरे देश के लिए बनायीं

गयी है केवल उन्हें अच्छी तरीके से लागू किया है | उन्होंने बालक की क्षमता, रूचि, योग्यता को ध्यान में रखा और उनको उसी के अनुरूप पढ़ाया | जिससे बालक का मन विद्यालय में लगा रहता है | उनके लिए इस तरह का वातावरण तैयार किया जिससे की वह स्वयं पढ़ने के लिए तत्पर होते हैं और अपनी क्षमता के अनुरूप वे सीखते चलते हैं | वैकल्पिक विद्यालयों में अध्यापकों को यह पूर्ण स्वतंत्रता होती है की वे किसी नवाचार विधि के द्वारा बच्चों को पढ़ाये जिससे कक्षाये उन्हें उबाऊ व नीरस न लगे और यही बात मुख्य धारा के विद्यालय और सामान्य अभिभावक इस बात को नहीं समझ पाते हैं और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं की ज्ञान (सीखना) और सूचना (जानकारी) दोनों समान हैं और वे बच्चों पर विकसित देशों के स्तर तक पहुंचने के लिए शुरुआत से ही अधिक से अधिक ज्ञान जमा करने का तनाव डालते हैं | जिससे बच्चे शुरू से ही होमवर्क करने पर जोर दे रहे हैं और वे ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो अलग – अलग कोचिंगों को भी ज्वाइन कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप वे मनोरंजन और खेल के लिए कम समय निकाल पा रहे हैं | अपने पाठ्यक्रम को पूरा करना इनका पहला उद्देश्य होता है, बच्चे ही नहीं बल्कि विद्यालय और अध्यापक भी यही करने में लगे हैं | जिसके कारण मुख्य धारा की स्कूली शिक्षा बच्चों को बोझिल, उबाऊ और अरुचिकर प्रतीत होती है |

कोठारी आयोग में कहा गया है की, “ हमारे देश के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है | ” किन्तु हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में जिन अनेकों आधारभूत नीतियों का निर्माण किया गया वे अभी तक सिद्धांतों और कागजीय परिधि से बाहर नहीं आ पाये हैं और परिणाम यह होता है कि सरकार बदलते ही नीति बदल जाती हैं | जिसका परिणाम यह होता है की कोई भी नीति या संस्तुति पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाता है तब तक अगली नीति या संस्तुति आ जाती है और सभी लोग फिर उसे लागू करने में लग जाते हैं | जिसका परिणाम यह रहा की हमारे देश में अनेकों नीतियां बनी उसे लागू भी किया गया किन्तु उसका परिणाम अपेक्षित नहीं निकला | सभी नीतिगत दस्तावेज अपने आप में काफी विस्तृत हैं | जो हमारे भविष्य की शिक्षा की रूपरेखा तय करती है | इसको पूर्ण रूप से लागू करना और इसमें सहयोग करना हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि शिक्षा ही किसी देश और समाज की रूपरेखा तय करती है और हमें इस बात को समझना होगा |

सन्दर्भ सूची (REFERENCES)

1. अग्निहोत्री, आर. (2006) – आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्यायें और समाधान , जयपुर :राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी |
2. इ .रेमण्ड मोरले (अगस्त 1991) - अल्टरनेटिव एजुकेशन , ए पब्लिकेशन ऑफ़ दी नेशनल ड्रॉपआउट प्रिवेंशन सेंटर , इओवा डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन |
3. गुप्ता, एस.पी. तथा अल्का गुप्ता (2015) - भारतीय शिक्षा का इतिहास ,विकास एवं समस्याएं, इलाहाबाद:शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स 11,यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद
4. गुप्ता एस.पी. तथा अल्का गुप्ता (2008) – भारतीय शिक्षा का सफरनामा , इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स 11,यूनिवर्सिटी रोड इलाहाबाद
5. लाल, आर.बी. (2013) - भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं , मेरठ –दिल्ली : रस्तोगी पब्लिकेशनस
6. एम. अन्न मार्टिन (नवम्बर 2000) – एन इंट्रोडक्शन टू एजुकेशनल अल्टरनेटिवस , ओरिजनली पब्लिशड इन पथ्स ऑफ़ लर्निंग , ए.इ.आर.ओ.
7. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (N.C.F. 2005)
8. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
9. WWW.Ctetadda.com 2016/12 Yashopal comitee 1992-93
10. www.wikipedia.com